# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

**WEB-NOTICE – ......29....../2025**

**वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत् छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में।**

एतद् द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्रा, जिनका परीक्षाफल अपने संकाय (कोटिवार) में Top 20th Percentile/above 80th Percentile of Successful Candidates in relevant stream में सम्मिलित है, को सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत् छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रपत्र National Scholarship Portal **(http://scholarships.gov.in)** पर Online आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम आवेदक पोंटल पर **New Registration Tab** पर वांछित जानकारी को प्रविष्ट करते हुए अपना **One Time Registration (OTR)** करेंगें। OTR करने हेतु अपने आधार संख्या एवं आधार में पंजीकृत मोबाईल संख्या का उपयोग करेंगे। OTR, NSP Portal के अतिरिक्त **NSP OTR App,** जो **Google Play Store** पर उपलब्ध है, माध्यम से भी किया जा सकता है।
- आवेदन भरने के लिए लाभुक को अपना मोबाईल नं०., ई.मेल आई.डी., अंक पत्र, अपने बैंक खाता की विवरणी एवं आधार संख्या की आवश्यकता होगी।
- आवेदक NSP Portal के Website पर वर्णित दिशा–निर्देश के अनुरूप फॉर्म भरेंगे।
- Top 20th Percentile के अन्तर्गत आनेवाले छात्र–छात्राओं की सूची NSP Portal पर उपलब्ध है।
- आवेदन करते समय आवेदक अपना इंटरमीडिएट का रौल नं० निम्नवत् रुप में अंकित करेंगे :–

**रौल कोड (E.g.-11001) + रौल नं० (E.g.-10101) एक साथ (Total 10 digit) लिखेंगे।**

E.g,-1100110101 ; अन्यथा आवेदन कर पाना संभव नहीं हो सकेगा।

- वर्ष 2023 के वैसे पूवर्ती छात्र–छात्राऐं जो गत् वर्ष NSP Portal पर आवेदन कर चुकें है, Renewal हेतु अपना आवेदन करेंगे तथा Website पर वर्णित दिशा–निर्देश के अनुरूप फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे।
- छात्र–छात्राओं के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि NSP Portal पर उपलब्ध है।
- परिषद् द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण एवं इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरने से संबंधित सूचना मात्र प्रकाशित की जा रही है। ताकि झारखण्ड के छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त इस छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्रवाई में परिषद् की कोई भूमिका नहीं है। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन MHRD, New Delhi द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है एवं चयनित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में MHRD, New Delhi के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है।

परिषद् की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः **छात्रवृत्ति प्राप्त होने या नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।** झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम है।

❖ आवेदन प्रपत्र भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में छात्र/छात्राएँ NSP Protal के दूरभाष संख्या, 120-6619540 या helpdesk@nsp.gov.in पर या परिषद् के छात्रवृत्ति कोषांग के दूरभाष संख्या 7485093439 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

कृपया अर्हताधारी एवं योग्य छात्र/छात्राएँ इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र आवश्यक रुप से भरना सुनिश्चित करेंगे। ताकि झारखण्ड राज्य के लिए निर्धारित कोटा के अनुरुप सभी छात्र/छात्राओं को इसका लाभ मिल सके।

**नोट :-** बाधारहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आधार संख्या का बैंक खाते से Seeding/Link होना आवश्यक होगा।

परिषद् स्तर से पत्राचार कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को एतद् संबंधी सूचना प्रदान की जा चुकी है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह0/-

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

ज्ञापांक : JAC/Sch/CSSS/93/23/Secy/815/25 / राँची, दिनांक : 19.8.2025

प्रतिलिपि : वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

19/08/25
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।